Election

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (08–कैराना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर) की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है, जिसके कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है:–

कार्यक्रम

1.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन	दिनांक 15 अक्टूबर, 2014
2.	दावें और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि	दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 से दिनांक 10 नवम्बर, 2014 तक
3.	ग्रामसभा / स्थानीय निकायों और रेजीडेन्ट बेलफेयर एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन	दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 और दिनांक 30 अक्टूबर, 2014
4.	मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाविहित स्थानों पर दावें और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान तिथियां	दिनांक 19 अक्टूबर, 2014 एवं दिनांक 02 नवम्बर, 2015
5.	फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	दिनांक 05 जनवरी, 2015

2– विशेष अभियान तिथियों दिनांक 19.10.2014 एवं 02.11.2014 को पदाविहित स्थलों (मतदेय स्थलों) हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबिल एजेन्ट बना सकते हैं जो सम्बन्धित मतदेय स्थल के बूथ लेबिल अधिकारी (बी0एल0ओ0) के संरक्षण में मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुई त्रुटियों इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं।

3– भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा–जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी / सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेबिल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि दिनांक 15.10.2014 से 05.01.2015 तक के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी है।

(मुरलीधर मिश्र)
अपर जिलाधिकारी(वि. / रा.) /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
गाजीपुर।
13-10-2014

दिनांक 13 अक्टूबर, 2014

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजीपुर।

संख्या-- 2106 / निर्वाचन–692 / 11 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, महोदय, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं प्रेस नोट के विवरण को अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष / मंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, जनपद–गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को उक्त प्रेस नोट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रेस नोट का विवरण सभी दैनिक समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) गाजीपुर को सूचनार्थ एवं उक्त प्रेस नोट को D.E.O. Portal पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि. / रा.) /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
गाजीपुर।
13-10-2014

D:\Abhay\Letter New.doc